राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1866/2011/श्रीगंगानगर.

सहायक आयुक्त, वर्क्स टैक्स, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजेश कुमार कॉन्ट्रेक्टर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 2192/2011/श्रीगंगानगर.

सहायक आयुक्त, वर्क्स टैक्स, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वी. के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 62/आरवेट/श्रीगंगानगर/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.01.2011 एवं 87/आरवेट/श्रीगंगानगर/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.05.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक क्रमशः 5.3.2009 एवं 5.2.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक स्वीकार किया है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान प्रत्यर्थीगण को स्टोरेज टैंक, इनलेट चैनल, एस.एस.एफ., जी.एल.आर. आदि सिविल कार्य करने हेतु संविदा जारी की गई थी। उक्त संविदा कार्यों के लिये प्रत्यर्थीगण द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 के तहत करमुक्ति प्रदान करने हेतु प्रमाण–पत्र जारी करने का आवेदन किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आवेदन अनुसार क्रमशः दिनांक 21.12.2006/28.12.2006 तथा 6.9.2007 को 1.5/2.25 प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क देय होना दर्शाते हुए प्रमाण–पत्र

लगातार.....2

जारी किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी इन प्रमाण—पत्रों के अनुसार ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मुक्ति शुल्क राजकोष में जमा करवाया गया, परन्तु कर निर्धारण वर्ष समाप्ति के पश्चात् दिनांक 15.2.2008 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पुनः आदेश पारित करते हुए प्रमाण—पत्र को संशोधित करते हुए मुक्ति शुल्क की दर 1.5/2.25 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत निश्चित की गई एवं इस संशोधन प्रमाण—पत्र के अनुसार क्रमशः दिनांक 5.3.2009 व 5.2.2010 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी को अपीलें प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 15.2.2008, जिसके तहत प्रमाण—पत्रों को संशोधित किया गया था, उसे अविधिक मानते हुए निरस्त किया गया एवं उसी के परिणामस्वरूप पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 5.3.2009 व 5.2.2010 में अतिरिक्त आरोपित शुल्क को भी निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण को जो संविदा कार्य आवंटित किये गये थे, वे कार्य अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 की शुल्क निर्धारण की सारणी के आईटम नं0 2 के तहत उल्लेखित Work contract relating to building होने से इन पर 1.5/2.25 प्रतिशत की दर से शुल्क देयता नहीं थी, इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी प्रमाण—पत्रों को संशोधित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है एवं उसी अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो संशोधित आदेश पारित किये गये हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलीय आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् निम्न निर्णय पारित किया जाता है —

7. इन प्रकरणों में प्रत्यर्थीगण को राज्य सरकार के जन—स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्टोरेज टैंक, इनलेट चैनल, एस.एस.एफ. आदि कार्य करने का ठेका दिया गया था, उस ठेके की प्रकृति को देखते हुए व्यवहारी के आवेदन अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2006/28.12.2006 एवं 6.9.2007 को प्रमाण—पत्र जारी कर उन कार्यों को अधिसूचना दिनांक

लगातार.....3

11.8.2006 के आईटम नं0 2 में सम्मिलित होना मानते हुए 1.5/2.25 प्रतिशत की शुल्क दर निर्धारित की गई थी एवं उसी अनुसार प्रत्यर्थीगण द्वारा राजकोष में शुल्क जमा करवाया गया था, उसके पश्चात् वर्ष समाप्ति के बाद दिनांक 15.2.2008 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई सुनवाई किये उक्त प्रमाण—पत्रों को संशोधित करते हुए पूर्व में जारी प्रमाण—पत्रों को त्रुटिपूर्ण अवधारित करते हुए इस कार्य को Work Contract Relating to Building नहीं मानकर 3 प्रतिशत से शुल्क दर निर्धारित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के दिनांक 15.2.2008 के आदेश के अवलोकन पर यह पाया गया कि उक्त आदेशों में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं बताया गया है कि पूर्व के जारी आदेश, जिनमें शुल्क दर 1.5/2.25 प्रतिशत निश्चित की गई थी उसमें क्या त्रुटि रही थी एवं प्रत्यर्थीगण का कार्य किस आधार पर Work Contract Relating to Building नहीं माना जा सकता है। इस तरह बिना कोई त्रुटि बताये ही पूर्व के प्रमाण—पत्रों को संशोधित किया जाना विधिसम्मत नहीं था। इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि पूर्व के आदेश को बिना किसी त्रुटि के ही संशोधित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इसके अलावा अपीलीय अधिकारी ने यह भी अवधारित किया है कि जन—स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दिये गये कार्य अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम नं0 2 के अनुसार Work Contract Relating to Building में ही सम्मिलित योग्य था एवं प्रथम बार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो प्रमाण—पत्र जारी किया गया था वह विधिसम्मत था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में पूर्ण विचार के पश्चात् जो निर्णय पारित किये गये हैं, उनमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी के निर्णय में समान मामले में अन्य उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 24.3.2009 को भी उद्धरित किया गया है एवं राजस्व की ओर से उस आदेश के विरूद्ध किसी भी तरह का निर्णय कर बोर्ड द्वारा किया जाना नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संशोधित आदेश दिनांक 15.2.2008 को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रमाण—पत्र जारी करने के मूल आदेश दिनांक 21.12.2006 / 28.12.2006 एवं 6.9.2007 को पुनर्स्थापित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

8. फलतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं एवं अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया ।

(के. एल. जैन)
सदस्य